न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

81/2024
मएस : 2024/398
बीरा देवी पुत्री स्व. श्री नारायण राम पत्नी श्री धन्नाराम जाति नायक साकिन बनवाली (4 बी.एन.डब्ल्यू) तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर राज.। —:वादिया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। —: प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 125—136 एलआरएक्ट

तारीख रजू:— 10.12.2024

थतः 1. श्री भूपसिंह मेघवाल अधि. वादी।
2. राजपेरोकार सरकार प्रतिवादी

——निर्णय—— दिनांक : 28.05.2025

प में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया की चक 60 एनपी तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त ता संख्या 9/6 में पं.नं. 229/356 मुरब्बा नं. 23 की कुल खाता योग 6.325 है नहरी तेदारी में वादिया का 211/1256 विरासतन हिस्सा अर्थात 1.055 नहरी रकबा खातेदारी है देया का सही व वास्तविक नाम बीरा देवी ही है और यहीं नाम वादि के अधिकांशतः क्तिगत दस्तावेज परिवार राशनकार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड इत्यादि में दर्ज है। र बोलचाल की भाषा में परिवार का काई व्यक्ति वादिया को बीरा देवी व कोई मीरा के म से पुकारने के वादिया को इन दोनों मिलते—जुलते नामों से जाना, पहचाना व पुकारा ता है ये दोनों नाम वादिया के ही है अलग—अलग महिला के नाम है। उपरोक्त रकबा दिया को विरासतन में प्राप्त है सहबन वादिया का नाम व्यक्तिगत दस्तावेज में प्रचलित सही म बीरा देवी की बजाये मीरा विरासतन अंकन करते समय राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो या। मगर वादिया का सही व वास्तविक नाम बीरा देवी उसके व्यक्तिगत व लोक स्तावेजात में दर्ज होने से वादिया को आईन्दा भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करवाने, स्तान्तरण करने, ऋण आदि लेने व अन्य सरकारी योजनाओं व अनुदान आदि का लाभ लेने भारी दिक्कते व परेशानिया उठानी पड़ेगी व लाभ प्राप्ति से वंचित होने का अन्देशा रहेगा। इसके अलावा वादिया के वारिसान को भी भविष्य में भारी परेशानियां उठानी पड़ेगी ओर उनके नाम भूमि अन्तरित होने में परेशानी होगी। इसलिये वादिया अपने नाम की दुरूर्स्ती करवाते हुये राजस्व अभिलेखों में अपना सही नाम दर्ज करवा पाने का कानूनन अधिकारनी हैं वादिया अनपढ़ ग्रामीण महिला है उसे रिकार्ड की जरूरत होने पर जमाबन्दी प्राप्त कर अवलोकन करने पर उक्त गलती का ज्ञान होने पर वादिया ने प्रतिवादी से बमुकाम रायसिंहनगर सम्पर्क कर जमाबंदी व राजस्व रिकार्ड में दुरूर्स्ती का अनुरोध करने पर प्रथमतः टालमटोल करते हुये दिनांक 01.12.2024 को यह कहकर दुरूर्स्ती से इंकार कर दिया कि न्यायालय के डिक्री/आदेश से ही दुरूर्स्ती हो सकेगी। यही तारीख पैदा होने बिनाये दावा बिनाये मुखास्मत है। वादिया के समक्ष वांछित अनुतोष प्राप्ति के लिये वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई चारा शेष नहीं रहा है। वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अंदर मियाद पेश है। अतः वाद वादिया पेश कर निवेदन है कि वाद वादिया बहक वादिया खिलाफ प्रतिवादी निम्नप्रकार से डिक्री सादिर फरमाया जावे कि वाके चक 60 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर संयुक्त खाता संख्या 9/6 में पं.नं. 229/356 मु.नं. 23 की कुल खाता योग 6.325 है. नहरी खातेदारी में वादिया का 211/[illegible] हिस्सा अर्थात 1.055है. नहरी रकबा खातेदारी है, वादिया का सही व वास्तवि[illegible] देवी ही है कि घोषणात्मक डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेखों व [illegible] की [illegible] में वादिया [illegible] ''मीरा'' के दुरूस्ती करते हुये ''मीरा'' के स्थान पर ''बीरा दे[illegible] के आदेश [illegible] स्थान पर ''बीरादेवी उर्फ मीरा'' दर्ज करने के आदेश [illegible]। प्रतिवादी की [illegible] पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये [illegible] भू.अ./25/2046 दिनांक 28.04.2025 से [illegible] से तहसीलदार रायसिंहनगर ने पत्र क्रमांकः

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.06 13:45:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

AnyScanner

का जांच मुताबिक रिकार्ड अनुसार चक 60 एनपी के खाता संख्या 9 के मु.नं. 23 के कि.नं. ता 25 नहरी भूमि में से 211/1265 हिस्सा भूमि मीरा पुत्री नारायण राम जाति नायक किन 62 एनपी के खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नामान्तरण संख्या 44 चक 60 एनपी विरासतन मान्तरण में मीरा देवी पुत्री नारायणराम रिकार्ड में दर्ज हुआ है। प्रार्थीया के पहचान पत्र तावेज, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम बीरा देवी दर्ज मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के अनुसार पंचायत व गांव में पुछताछ करने पर मीरा देवी एवं रादेवी दोनों एक ही महिला के नाम बताया गया है। अतः प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड मीरा के स्थान पर मीरा उर्फ बीरादेवी पुत्री नारायणराम जाति नायक साकिन 62 एनपी या जाना उचित है।

वादिया के अधिवक्ता की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में संलग्न हचान दस्तावेज, वाद पत्र, शपथ पत्र आदि का अध्ययन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस नो सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। भूमि धारक प्रतिवादी तहसीलदार रायसिंहनगर की अपनी मौका जांच रिपोर्ट में राजस्व रिकार्ड में मीरा के स्थान पर मीरा उर्फ रा देवी किया जाना उचित की अनुशषां की है उक्त तथ्यों के आधार पर वादी का वाद पत्र वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद पत्र वादी अंतर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं 125–136–राजस्व भू अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड के **चक 60 एनपी के खाता संख्या 9 के मु.नं. 23 के कि.नं. 1 ता 25 नहरी भूमि में से 211/1265 हिस्सा बारानी भूमि में मीरा पुत्री नारायणराम के स्थान पर मीरा उर्फ बीरा देवी पुत्री नारायण राम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते है** पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर मय पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर मय पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.06 13:45:58 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

डिक्री व मुकदमेंइब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

CIVIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास :– सुभाषचन्द्र
(आर.ए.एस.)

181 / 2024
ोएमएस : 2024 / 398

1. बीरा देवी पुत्री स्व. श्री नारायण राम पत्नी श्री धन्नाराम जाति नायक साकिन बनवाली (4 बी.एन.डब्ल्यू) तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर राज.। –:वादिया

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। –:प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 125–136 एलआरएक्ट

––निर्णय–– दिनांक : 28.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालकतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री भूपसिंह अधिवक्ता दी, राजपैरोकार प्रतिवादी पेश होकर हुकम दिया जाता है डिक्री की जाती है कि:– वाके क 60 एनपी के खाता संख्या 9 के मु.नं. 23 के कि.नं. 1 ता 25 नहरी भूमि में से 11 / 1265 हिस्सा बारानी भूमि में मीरा पुत्री नारायणराम के स्थान पर मीरा उर्फ बीरा देवी त्री नारायण राम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते है उक्त खाता के शेष अंकन व हन बदस्तुर रहेगे।

डिक्री आज दिनांक 28.05.2025 को जारी की गई।

सुभाषचन्द्र
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
दिनांक 28.06.2025

क्रमांकः–रीडर / 2025 / 706
प्रतिलिपिः–

1. तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित है।

सुभाषचन्द्र
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

कारी (राजस्व) रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.06 13:45:58 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner